"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3 ] रायपुर, गुरुवार दिनांक 3 जनवरी 2013—पौष 13, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्रमांक एफ-7/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2011/06.—दिनांक 3 जनवरी 2013 को नगरपालिका परिषद् शिवपुर-चरचा, जिला-कोरिया, छ.ग. के 1 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

**एस. आर. बांधे,**
उप-सचिव.

**प्रकरण क्रमांक एफ-7/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2011**

कुन्ती चक्रधारी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2010 नगरपालिका परिषद् शिवपुर-चरचा, जिला-कोरिया, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 3 जनवरी 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), कोरिया (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 5 फरवरी 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद् शिवपुर-चरचा के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2010 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 4 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 24 दिसंबर 2010 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 5 फरवरी 2011 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपालिका परिषद् शिवपुर-चरचा के अध्यक्ष पद के आम निर्वाचन 2010 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2010 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी 2011 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी को दिनांक 2 अप्रैल 2011 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी को दिनांक 25 अप्रैल 2011 को सम्यक् रूप से तामील की गई.

4. अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी ने कारण बताओ सूचना का जवाब दिनांक 3 मई 2011 को प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात् वे बीमार हो गई थी जिसके कारण निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा नहीं कर पाई थी. स्वास्थ्य ठीक होने के तत्काल बाद वे जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने गई जहां संबंधित कार्यालय द्वारा उन्हें जानकारी दी गई कि जिला कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने की अवधि समाप्त हो गई है. अतः निर्वाचन व्यय लेखा सीधे आयोग कार्यालय रायपुर में जमा करना होगा. वे दिनांक 12 फरवरी 2011 को रायपुर आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने गई जहां उन्हें बताया गया कि उक्त व्यय लेखा को जिला निर्वाचन कार्यालय में ही जमा करना है तथा उनको निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के समक्ष में जमा करने का निर्देश दिया गया जिसके पालन में उनके द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2011 को निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किया गया. अभ्यर्थी ने उक्त विलंब के लिए क्षमा की प्रार्थना की है. इसके सन्दर्भ में आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया जिसमें उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी ने निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया है तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार निर्णय लिया जाना उचित होगा. इस पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 28 दिसम्बर 2011 को आयोग में आहूत किया गया. अभ्यर्थी उक्त तिथि को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुई. उनके द्वारा डॉ. श्रीमति के. आर. बिराजी द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अभ्यर्थी के दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से 10 फरवरी 2011 तक एक बाह्य रोगी के रूप में उनकी चिकित्सा में रहने का उल्लेख है. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में श्री नीरज कुमार गुप्ता मेन रोड न्यू मार्केट पोस्ट चरचा कॉलरी जिला कोरिया ने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर 2011, 4 फरवरी 2012 एवं 9 मई 2012 आयोग को भेजकर कतिपय जानकारी प्रस्तुत करते हुए अभ्यर्थी द्वारा बीमार होने संबंधी प्रस्तुत तथ्य को भ्रामक एवं असत्य होने का दावा किया गया है. श्री गुप्ता द्वारा अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी के द्वारा जवाब में उल्लेखित बीमार होने की अवधि दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से 10 फरवरी 2011 में नगरपालिका परिषद् शिवपुर-चरचा के अध्यक्ष के रूप में विभागीय कार्य करने तथा सभी आयोजनों यथा दिनांक 24 जनवरी 2011 को नगर पालिका शिवपुर चरचा के उपाध्यक्ष पद का चुनाव, दिनांक 26 जनवरी 2011 को गणतंत्र दिवस समारोह, लीगल एड क्लिनिक कार्यक्रम एवं राष्ट्रव्यापी जनगणना के प्रथम दिवस समारोह में सम्मिलित होने का उल्लेख किया गया है. उक्त अवधि के दौरान कुन्ती चक्रधारी द्वारा नगरपालिका परिषद् शिवपुर-चरचा के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन के संबंध में निर्वाचन अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई. निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने ज्ञापन क्रमांक 1259 दिनांक 15 मई 2012 में जानकारी दी गई कि दिनांक 19 जनवरी 2011 को कुन्ती चक्रधारी निर्वाचित अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् शिवपुर-चरचा ने शपथ ग्रहण किया. शपथ ग्रहण दिनांक

से उनके द्वारा अध्यक्ष के कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है. यहां यंह उल्लेख करना उचित होगा कि श्री नीरज कुमार गुप्ता न तो प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है और न ही उनके द्वारा पक्षकार बनने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. फिर भी प्रकरण में सही तथ्य सामने आ सकें इसलिए श्री गुप्ता के पत्र की प्रति अभ्यर्थी को अपनी प्रतिक्रिया देने हेतु उपलब्ध कराई गई जिस पर अभ्यर्थी द्वारा अपनी कंडिकावार प्रतिक्रिया दिनांक 15 मार्च 2012 प्रस्तुत की गई. इसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वह अत्यन्त आवश्यक होने पर कुछ समय के लिए ही ऐसे राट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में उपस्थित हुई हैं एवं तत्पश्चात् तुरन्त वापस लौट गई. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अत्यावश्यक फाईलों एवं अभिलेखों आदि में हस्ताक्षर उनके द्वारा घर पर ही किये गये हैं. उनका यह भी कथन था कि मात्र कुछ क्षण की उपस्थिति से ही प्रार्थिया के स्वस्थ्य होने का अनुमान लगाना गलत धारणा होगा. अभ्यर्थी ने नीरज कुमार गुप्ता के संबंध में उल्लेख किया है कि वह अभ्यर्थी पर दबाव बनाकर नगरपालिका की ठेकेदारी तथा सप्लाई का कार्य लेना चाहता था. पूर्व में शिकायतकर्ता का भाई रविन्द्र कुमार गुप्ता रवि ट्रेडर्स के नाम से नगरपालिका परिषद् चरचा में पाईप लाईन एवं सिमेंट सप्लाई का कार्य किया करता था. उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि नीरज गुप्ता समाज विरोधी कार्य करता है एवं उसके विरुद्ध थाना चरचा कॉलरी कोरिया में अपराध क्रमांक 107/6 धारा 4 कर्जा एक्ट, धारा 384, धारा 420 भारतीय दण्ड विधान संहिता के तहत दर्ज है. अभ्यर्थी ने अपने जवाब की पुष्टि में पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री जी. आर. राठौर तथा डॉ. के. आर. बिराजी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया. इन दोनों साक्ष्यों के शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किये गये. डॉ. बिराजी ने अपने शपथपूर्वक बयान में दर्शाया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र उनके द्वारा हस्ताक्षरित कर जारी किया गया है. अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से 10 फरवरी 2011 तक उनकी चिकित्सा में थी. अभ्यर्थी ब्लीडिंग पी.वी. रोग से पीड़ित थी तथा कमजोरी के कारण अभ्यर्थी को बेड-रेस्ट की सलाह की दी गई थी. इस रोग से पीड़ित महिला खून की कमी के कारण ज्यादा चल-फिर नहीं सकती क्योंकि उससे उनकी सांस फूलने की संभावना रहती है. लेकिन अत्यावश्यक परिस्थिति में रोगी अपनी मर्जी से स्थानीय कार्य में 5-10 मिनट के लिए चले जाते हैं. रोगी स्थानीय रहने से किसी भी जरूरी परिस्थिति में हम उनकी देखभाल करने की स्थिति में रह सकते हैं. उनके द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र देते समय जल्दबाजी में दिनांक 23-12-2011 से 10-2-2011 त्रुटिवश लिख दिया गया था जिसे उनके द्वारा पुन: दिनांक 23-12-2010 से 10-2-2011 सुधार कर चिकित्सा प्रमाण पत्र श्रीमती कुन्ती चक्रधारी को दिया गया है. श्री जी. आर. राठौर पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् शिवपुर-चरचा ने अपने शपथपूर्वक बयान में उल्लेख किया है जब वे वहां पदस्थ थे उस समय नगरपालिका परिषद् शिवपुर-चरचा के अध्यक्ष पद हेतु आम निर्वाचन सम्पन्न हुआ. यह बात सही है कि श्रीमति कुन्ती चक्रधारी निर्वाचन के पश्चात् काफी बीमार थीं और अध्यक्ष के कार्य हेतु बहुत कम समय दे पाती थी. नगरपालिका की आवश्यक फाइलें जैसे कर्मचारियों का वेतन, पेंशन एवं निराश्रितों के लिए पेंशन आदि कार्य हेतु नस्ती वह अध्यक्ष मैडम से मोबाइल पर सम्पर्क कर उनके निवास पर भेज देता था और कभी-कभी स्वयं जाकर स्वीकृति प्राप्त करता था. दिनांक 26 जनवरी 2011 को गणतंत्र दिवस समारोह हेतु उन्होंने अध्यक्ष मैडम से विशेष निवेदन किया कि ऐसे अवसर पर उनको भले ही कुछ मिनट के लिए क्यों न हो, आकर ध्वजारोपण करना उचित होगा. उनकी बात को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष मैडम ध्वजारोपण के लिए आई और ध्वजारोपण करके तत्काल चली गई. उन्हें निर्देश प्राप्त हुआ था कि राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम के शुभारम्भ करने हेतु जिला जनगणना कार्यालय से किसी गणमान्य नागरिक के निवास से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाये. इसलिए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह मशविरा करने के बाद कार्यक्रम तय किया था तथा नगरपालिका के प्रथम नागरिक होने के कारण अध्यक्ष मैडम से निवेदन किया कि दो मिनट के लिए कार्यक्रम में उपस्थित रहें. यह कार्यक्रम माननीय विधायक श्री भैयालालजी रजवाड़े के निवास से प्रारम्भ किया गया था. उनके विशेष आग्रह पर अध्यक्ष मैडम उक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए उपस्थित हुई तथा कुछ समय के बाद वापस चली गई. शेष कार्यक्रम हम सब के द्वारा सम्पन्न किया गया. नगरपालिका परिषद् के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु तिथि कलेक्टर द्वारा तय की गई थी तथा विहित अधिकारी तय किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया था. निर्वाचन दिनांक 24 जनवरी 2011 को सम्पन्न हुआ. उक्त कार्यक्रम में भी अध्यक्ष मैडम कुछ समय के लिए आई और मतदान करके तत्काल वापस चली गई. शिवपुर-चरचा में जिले का लीगल एड क्लिनिंग कार्यक्रम प्राथमिक शाला शिवपुर-चरचा में बिलासपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रथम नागरिक की हैसियत से अध्यक्ष मैडम बीमार हालत में कुछ समय के लिए उपस्थित हुई थी. अध्यक्ष मैडम न्यायाधीश से मुलाकात करने कुछ समय के लिए आई थी और वापस चली गई. उनके कार्यकाल में अध्यक्ष मैडम ने कभी भी कार्यालय में अधिक समय तक निरन्तर बैठकर कार्य नहीं किया. अभ्यर्थी के अधिवक्ता श्री बी. के. राय ने भी अपने लिखित तर्क दिनांक 13 दिसम्बर 2012 में उल्लेख करते हुए कि कुन्ती चक्रधारी दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से 10 फरवरी 2011 तक गंभीर ब्लीडिंग पी.वी. रोग से पीड़ित थी. शरीर में खून की कमी होने से कार्य करने में असमर्थ होने के कारण समयसीमा में उक्त निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं कर पाई थी; लेकिन स्वास्थ्य ठीक होने के तत्काल पश्चात् सम्पूर्ण चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा कर दिया था. उनके द्वारा अस्वस्थता को निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में दाखिल न कर पाने को विलंब का पर्याप्त कारण बताते हुए एवं साक्ष्यों के बयान के आधार पर प्रकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

5. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन की परिधि में आता है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 24 जनवरी 2011 तक प्रस्तुत करना था.

6. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी के जवाब तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् शिवपुर-चरचा के आम निर्वाचन 2010 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाशिल नहीं किया गया. उन्होंने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब प्रस्तुत किया एवं समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का कारण बीमार होना दर्शाते हुए दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से 10 फरवरी 2011 तक की अवधि में बीमार एवं बेड-रेस्ट रहने का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है. अभ्यर्थी द्वारा अपने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं किगा था तथा दिनांक 23 दिसंबर 2010 से 10 फरवरी 2011 तक वह बीमार एवं बेड-रेस्ट की स्थिति में थी. चिकित्सक ने अपने शपथपूर्वक बयान में दर्शाया है कि अभ्यर्थी ब्लीडिंग पी.वी. रोग से पीड़ित थी तथा कमजोरी के कारण अभ्यर्थी को बेड-रेस्ट की सलाह दी गई थी. उन्होंने यह भी दर्शाया है कि इस रोग से पीड़ित महिला खून की कमी के कारण ज्यादा चल-फिर नहीं सकती क्योंकि उससे उनकी सांस फूलने की संभावना रहती है; लेकिन अत्यावश्यक परिस्थिति में रोगी अपनी मरजी से स्थानीय कार्य में 5-10 मिनट के लिए चले जाते हैं. संबंधित चिकित्सक के इस शपथपूर्वक बयान को अस्वीकार करने हेतु कोई कारण विद्यमान नहीं है. श्री जी. आर. राठौर पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् शिवपुर-चरचा ने अपने शपथपूर्वक बयान में दर्शाया है कि श्रीमती कुन्ती चक्रधारी वास्तव में बीमार थी तथा वे कभी भी कार्यालय में कार्य निरन्तर रूप से अधिक समय तक नहीं कर पाई. अत्यावश्यक होने पर नस्तियां उनके निवास पर भिजवाकर आदेश प्राप्त किये जाते रहे. उनके विशेष निवेदन पर अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी गणतंत्र दिवस समारोह जैसे शासकीय कार्यक्रमों में अल्प समय के लिये आ जाती थी तथा तत्काल बाद वापस चली जाती थी. श्री जी. आर. राठौर पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं डॉ. श्रीमति के. आर. बिराजी के बयान से अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी की अस्वस्थता की पुष्टि हो जाती है. अत: मात्र इस आधार पर कि अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी स्थानीय कार्यक्रमों में अल्प समय के लिए सम्मिलित होती रही है इसलिए वह अपना निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने में सक्षम थी, मानना न्यायोचित नहीं होगा. अभ्यर्थी का कोई निर्वाचन अभिकर्ता नहीं होने के कारण उसके पास निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने का विकल्प भी नहीं था. अभ्यर्थी ने स्वस्थ होने के तत्काल बाद तथा आयोग की अभ्यर्थी को संबोधित कारण बताओ सूचना जारी होने के दिनांक 2 अप्रैल 2011 के पूर्व निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय कोरिया एवं दिनांक 12 फरवरी 2011 को राज्य निर्वाचन आयोग में उपस्थित होकर व्यक्तिश: सम्पर्क किया तथा तत्पश्चात् दिनांक 14 फरवरी 2011 को उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जिला कार्यालय कोरिया में दाखिल कर दिया गया. इससे स्पष्ट होता है अभ्यर्थी की मंशा विधि अनुरूप निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में दाखिल करने की रही थी परन्तु स्वयं के बीमार होने के कारण वह निर्वाचन व्यय लेखा नियत समयावधि में दाखिल करने में असमर्थ रही. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि यद्यपि अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी के द्वारा प्रश्नाधीन निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया; फिर भी उनके द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुती में असफलता

के लिए अच्छा एवं न्यायोचित्य कारण विद्यमान होना मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है. तदनुसार उक्त कारणों से अभ्यर्थी कुन्ती चक्रधारी के विरुद्ध आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं धारा 32-ख धारा 32-ग के अन्तर्गत जारी कार्यवाही को समाप्त किया जाता है. अभ्यर्थी को इस आदेश से सूचित किया जाये तथा आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 3 जनवरी 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

**( पी. सी. दलेई )**
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.